मौर्य राजवंश प्रशासन और आधुनिक शासन का तुलनात्मक विश्लेषणः सबक और समानताएं

सारांश

मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और आधुनिक शासन प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन भारतीय इतिहास के उन पहलुओं को समझने का प्रयास करता है, जिन्होंने आज के शासन को प्रभावित किया। यह शोध प्राचीन मौर्यकालीन प्रशासन की नीतियों, आर्थिक व्यवस्थाओं और समाज सुधारों को आधुनिक शासन से जोड़कर उनकी प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का केंद्रीकरण, सम्राट अशोक के समय में कल्याणकारी नीतियों का पालन और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे का आज के शासन तंत्र में भी प्रभाव देखा जा सकता है। मौर्यकाल की शासन व्यवस्था में 'अर्थशास्त्र' पर आधारित नीतियां, केंद्रीकृत प्रशासन और सामूहिक कल्याणकारी दृष्टिकोण थे। मौर्य सम्राटों ने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक विभागों और अधिकारियों की नियुक्ति की थी। यही मॉडल आज भी सरकारी तंत्र के कामकाजी ढांचे को प्रभावित करता है। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजकोष और व्यापारिक नीतियां निर्धारित की गई थीं, जो आज के आर्थिक नीतियों के निर्माण में आधार बनीं। समाज में सुधार के लिए मौर्यकाल में न्याय, कानून, और सामाजिक सेवाओं पर ध्यान दिया गया था, जो आज के समाज सुधारों की दिशा का संकेत करते हैं। सम्राट अशोक के श्धम्मश और उनके द्वारा स्थापित धर्मिक नीति आज के लोकतांत्रिक और समाजवादी विचारों की नींव के समान है। यह शोध यह भी दर्शाता है कि मौर्यकाल की नीतियों का प्रभाव न केवल भारतीय शासन पर, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखा गया। सम्राट अशोक के शांति और अहिंसा के सिद्धांतों ने न केवल भारतीय समाज को आकार दिया, बल्कि उनका प्रभाव अन्य देशों के शासन तंत्र पर भी पड़ा। इस प्रकार, मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा और उसकी नीतियां आधुनिक शासन प्रणाली की अनेक बुनियादी धारा के रूप में आज भी प्रासंगिक हैं।

मुख्यशब्दः मौर्य प्रशासन, आधुनिक शासन, अर्थशास्त्र, तुलनात्मक अध्ययन, समाज सुधार, केंद्रीकृत शासन।

प्रस्तावना

मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अध्याय है, जिसने प्राचीन भारत की राजनीति, समाज, और अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की। इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जो अपने गुरु और महान राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य (कौटिल्य)[1] की सहायता से नंद वंश का पतन कर सत्ता में आए। यह साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का पहला बड़ा और संगठित

[1] कौटिल्य, (2010), ''अर्थशास्त्र (अनुवादरू आर.पी. कांगले)'', मोतीलाल बनारसीदास।

साम्राज्य था, जिसकी सीमाएँ उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैली हुई थीं। मौर्य साम्राज्य का केंद्र पाटलिपुत्र (आधुनिक पटना) था, जिसे साम्राज्य का प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र माना जाता था।

चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की सबसे बड़ी विशेषता एक सुदृढ़ और केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र की स्थापना थी। उनके शासनकाल में चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'अर्थशास्त्र' के माध्यम से प्रशासन और राजनीति की व्यवस्थित रूपरेखा तैयार की। यह ग्रंथ न केवल मौर्य प्रशासन का आधार बना, बल्कि आगे चलकर प्रशासनिक अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत भी बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन में सैन्य शक्ति और रणनीतिक कौशल का कुशलता से प्रयोग कर साम्राज्य को संगठित किया और सिकंदर के उत्तराधिकारियों से पश्चिमी भारत को मुक्त कराया।

चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी, बिन्दुसार ने साम्राज्य को विस्तार देते हुए इसे दक्षिण भारत तक फैलाया। परंतु मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर अशोक महान के शासनकाल (268–232 ईसा पूर्व) में पहुँचा। अशोक ने अपने शासन में 'धम्म' या धर्म के माध्यम से समाज में नैतिकता, सहिष्णुता और अहिंसा की शिक्षा को बढ़ावा दिया। अशोक का धम्म भारतीय इतिहास में एक अनूठी विचारधारा प्रस्तुत करता है, जिसने राज्य को एक नैतिक आधार प्रदान किया। कलिंग युद्ध (260 ईसा पूर्व) के बाद अशोक ने युद्ध और हिंसा का परित्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार किया। अशोक के स्तंभ और शिलालेख, जो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक नीतियों और सामाजिक आदर्शों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।[2]

मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना अत्यधिक संगठित और सुव्यवस्थित थी। यह केंद्र और प्रांतीय प्रशासन पर आधारित थी, जिसमें राजा का पूर्ण नियंत्रण था। राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें महामात्य और राजुक जैसे अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता था। ग्राम स्तर पर भी एक संगठित प्रशासनिक तंत्र मौजूद था, जो कृषि, कर संग्रह और कानून व्यवस्था का ध्यान रखता था।

मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। कर संग्रह की सुव्यवस्थित प्रणाली और व्यापार मार्गों के विस्तार ने इसे एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। इसके साथ ही, मौर्य शासकों ने सार्वजनिक निर्माण कार्य, जैसे सड़कों, सिंचाई प्रणाली और शिलालेखों का निर्माण कराया, जो उनकी प्रगतिशील सोच और शासन की कुशलता को दर्शाते हैं।

[2] थापर, रोमिला, (1987), ''अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन्स'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। कमजोर उत्तराधिकारियों और प्रशासनिक विफलताओं के कारण साम्राज्य धीरे–धीरे खंडित हो गया। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया।

मौर्य साम्राज्य ने न केवल भारतीय इतिहास पर, बल्कि एशियाई और वैश्विक इतिहास पर भी गहरा प्रभाव डाला। यह साम्राज्य शासन और प्रशासन के क्षेत्र में एक मिसाल बनकर उभरा। मौर्य शासकों की नीतियाँ, उनकी कूटनीति, और सामाजिक–धार्मिक दृष्टिकोण आधुनिक शासन प्रणालियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मौर्य काल ने भारतीय सभ्यता को एक संगठित, नैतिक और सशक्त पहचान दी, जो आज भी अध्ययन और शोध का विषय है।[3]

शोध के उद्देश्य

- मौर्यकालीन प्रशासनिक संरचना और नीतियों का विश्लेषण करना।
- आधुनिक शासन प्रणालियों के साथ इनकी तुलना करना।
- सबक और समानताओं को उजागर करना।

शोध क्रियाविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों का व्यापक उपयोग किया गया है, जो ऐतिहासिक और समकालीन प्रशासनिक प्रणालियों के गहन विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्वितीयक स्रोतों में विभिन्न प्रकार की सामग्री शामिल हैं, जैसे ऐतिहासिक पुस्तकें, शोध पत्र, संग्रहालय अभिलेख, पुरातात्विक रिपोर्ट, और विश्वसनीय अकादमिक प्रकाशन। इस शोध में ऐतिहासिक ग्रंथों और विद्वानों द्वारा लिखित विश्लेषणात्मक पुस्तकों का विशेष रूप से अध्ययन किया गया है। मौर्य शासन प्रणाली के संदर्भ में, प्राचीन अभिलेखों और शिलालेखों का गहन परीक्षण किया गया है। आधुनिक शासन प्रणाली के विश्लेषण के लिए संवैधानिक दस्तावेजों, सरकारी रिपोर्टों और नीतिगत प्रकाशनों का उपयोग किया गया है। शोध की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए बहु–स्रोत दृष्टिकोण अपनाया गया है। विभिन्न विद्वानों और इतिहासकारों के शोध का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, जिससे एक संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण विकसित हो सके। साहित्य समीक्षा की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोतों का चयनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

मौर्य राजवंशः उत्पत्ति और विस्तार

मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी, जिन्होंने 321/324 बी.सी.ई. में नंद वंश को उखाड़ फेंका था। पुराणों के अनुसार, मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा, यानी, मौर्यों ने संभवत 187/185

[3] सिंह, उपिंदर, (2016), ''ए हिस्ट्री ऑफ एनशिएंट एंड अर्ली मीडिवल इंडिया'', पियरसन एजुकेशन।

बी.सी.ई. तक शासन किया था। अगर अनुमानित तिथियों को मानें, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मौर्य काल चौथी शताब्दी बी.सी.ई. के आसपास से दूसरी शताब्दी बी.सी.ई. की पहली तिमाही तक विद्यमान रहा।[4]

चंद्रगुप्त मौर्य

चंद्रगुप्त की वंशावली और जाति के बारे में अलग–अलग ग्रन्थों में अलग–अलग वर्णन मिलता है। मुद्राराक्षस ने उसे निम्न जाति का बताया है। विष्णु पुराण के टीकाकार धुंडीराजा के अनुसार चंद्रगुप्त नंद वंशज था, जो नंद राजा सर्वार्थसिद्धि एवं मुरा, शिकारी की बेटी, की संतान था। मुरा का पुत्र होने के कारण वह चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया, जो वंशवाद का प्रतीक बन गया। जैन लेखक, हेमचंद्र द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखित पुस्तक में, चंद्रगुप्त को मोर पकडने वाले कबीले (मयूर पोशक) के प्रमुख के पोते के रूप में वर्णन मिलता है। इसी तरह, जस्टिन और प्लूटार्क के यूनानी लेखों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सैंड्रोकोटस (यानी, चंद्रगुप्त) का किसी भी शाही घराने से सम्बंध नहीं था। दूसरी ओर, दीघनिकाय, महावंश और दिव्यवदान जैसे बौद्ध ग्रंथों में मौर्य वंश को एक खटिया (पाली में क्षत्रीय) कबीले के मोरिया कहा गया है, जो पिप्पलीवन पर शासन करता था। उसके कुलीन जन्म पर ज़ोर इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि इससे उसका राजगंदी पर बैठना वैध हो जाता था। ग्रीक लेखों से हमें पता चलता है कि भारत से सिकंदर के जाने के तुरंत बाद, सैंड्रोकोटस ने एक नए राजवंश की स्थापना की और उसने विशाल क्षेत्रों को जीतकर अपना साम्राज्य विस्तार किया। इसके अलावा सूत्रों में चन्द्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच हस्ताक्षरित एक संधि का भी उल्लेख मिलता है। इस संधि की शर्तों के तहत अराकोशिया (दक्षिण–पूर्व अफगानिस्तान का कंधार क्षेत्र), गेड्रोशिया (दक्षिण बलूचिस्तान), तथा परोपोमिसदाई (अफगानिस्तान एवं भारतीय उपमहाद्वीप के बीच का क्षेत्र) चन्द्रगुप्त के साम्राज्य क्षेत्र में शामिल हुआ। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने 500 युद्ध हाथियों को सेल्युकस को उपहार में दिया था। संधि के तहत, यूनानियों और भारतीय लोगों के बीच अंतर्जातीय शादी के अधिकारों को भी स्वीकार किया। चंद्रगुप्त ने न केवल उत्तर पश्चिम पर बल्कि गंगा के मैदानों, पश्चिमी भारत और दक्कन पर भी नियंत्रण स्थापित किया। केरल, तमिलनाडु और उत्तर–पूर्व भारत के कुछ हिस्से इस दायरे से बाहर थे।

ग्रीक–रोमन स्रोतों में सैंड्राकोटस के सैन्य कारनामों के बारे में व्यापक उल्लेख मिलता है। प्लूटार्क ने लिखा है कि सैंट्रैकॉटस ने 600,000 पुरुषों की सेना के साथ पूरे 'भारत' पर शासन किया। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि शब्द 'भारत' से इस लेखक का वास्तव में क्या मतलब है। माना जाता है कि चंद्रगुप्त का शासनकाल लगभग 24 वर्षों तक रहा।

बिन्दुसार

[4] अमृत विचार, (2022), ''मौर्य साम्राज्य और राजवंश का इतिहास'', पृष्ठः 1–3।

चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिन्दुसार था जिसने 297 और 273 बी.सी.ई. के बीच शासन किया। महाभाष्य में अमित्रघट (शत्रुओं का नाश करने वाला) को चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में बताया गया है। दूसरी ओर यूनानी लेखों जैसे एथेनायोस और स्ट्रैबो में वह अमितरोखेट्स या एलिट्रोहेट्स के रूप में उल्लखित है। ये नाम संभवतः शाही शीर्षक थे, जो उनकी सैन्य क्षमता के बारे में जानकारी देते हैं। बिन्दुसार को अपने विरासत में मिले विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने का श्रेय जाता है। दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार के राज्य में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था क्योंकि तक्षशिला की प्रजा दुष्ट प्रशासकों (अमात्यो) से असंतुष्ट थी।

बिन्दुसार के शासनकाल में, पश्चिम एशिया के यूनानी शासकों के साथ राजनयिक संबंध जारी रहे। बताया जाता है कि बिन्दुसार ने सीरियाई राजा, एंटिओकस से अच्छी शराब, अंजीर और एक सोफिस्ट (दार्शनिक) भेजने का अनुरोध किया था। इस पर, एंटियोकस ने जवाब दिया कि वह निश्चित रूप से शराब और अंजीर उसे अवश्य भेजेगा किंतु ग्रीक कानून सोफिस्ट (दार्शनिक) बेचने की अनुमति नहीं देता है।

अशोक

1837 तक, अशोक के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसी वर्ष जेम्स प्रिंसप ने एक ब्राह्मी लिपि में लिखित शिलालेख में देवनामपिय पियादसी (देवताओं का प्रिय) नामक राजा के उल्लेख की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा, महावंश के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया कि इस ग्रंथ में अशोक का उल्लेख है। 273 बी.सी.ई. में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को उत्तराधिकारी बनाया गया। अशोकवदान के अनुसार जब अशोक पैदा हुआ था तो उसकी माँ सुभद्रांगी के मुँह से निकला, ष्मैं शोक रहित हूँ और इसी तरह उसका नाम अशोक (जो दुःख से रहित है) रखा गया। अपने पिता के शासनकाल के दौरान उसे तक्षशिला और उज्जैन के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। यह माना जाता है कि वह युवराज नहीं था तथा सिंहासन के लिए उसने अपने भाइयों की हत्या की थी।

बिन्दुसार की तरह अशोक को भी विरासत में उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा साम्राज्य के रूप में मिला था। उसके पड़ोस का एकमात्र महत्वपूर्ण क्षेत्र कलिंग (आधुनिक ओडिशा) उसके क्षेत्राधिकार में नहीं था जिसके कारण वह अशांत रहता था। 260 बी.सी.ई. में उग्र अभियान के परिणामस्वरूप अंततः अशोक ने कलिंग को अपने नियंत्रण में कर लिया। कलिंग रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। यह वन संसाधनों में समृद्ध था और पूर्वी तट के माध्यम से प्रायद्वीप के साथ मौर्य व्यापार मार्ग पर भी था। हालाँकि, सैन्य अभियान बहुत ही विनाशकारी था, जिसमें हजारों लोग मारे गए, और कई कैद कर लिए गए। कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर विनाश ने राजा अशोक को पश्चाताप से भर दिया था। हालांकि, शिलालेख ग्प्प् में, अशोक ने लिखा है कि जब एक अजेय क्षेत्र को जीत लिया जाता है तो ऐसी मृत्यु और विनाश अवश्यंभावी है। वह चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी किसी भी तरह के रक्तपात से बचें। पश्चाताप करने के

बावजूद, अशोक ने परेशानी के सबब बन रहे जंगल के लोगों के लिए चेतावनी जारी की और उसे याद दिलाया कि अपने पश्चाताप की अवधि में भी वह दंड देने की शक्ति रखता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अशोक ने कलिंग के किसी भी स्थान पर अपने पछतावे को शिलालेख के माध्यम से व्यक्त करने से परहेज किया है जहां शिलालेख ग्प्प् के स्थान पर प्रतिस्थापित शिलालेख रखा गया। प्रतिस्थापित शिलालेख में वास्तव में वह अधिकारियों को निर्देश देते हैं और अच्छे प्रशासन के मूल्य पर ज़ोर देते हैं।

कलिंग युद्ध में वृहत स्तर पर हुए निर्दोशों के खून से सनी जीत ने अशोक को अंदर से मर्माहित कर दिया। पश्चाताप स्वरूप उसमें बौद्ध धर्म के प्रति रुचि विकसित हुई तथा उसने रूपांतरण की यात्रा शुरू की। हालांकि यह रातोरात रूपांतरण नहीं था, क्योंकि अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति सहानुभूति पहले से थी। लघु शिलालेख 1 में उसने स्वीकार किया है कि वह ढाई साल से बौद्ध भक्त है, जिससे पता चलता है कि उसका बुद्ध के शिक्षण की ओर झुकाव अचानक नहीं था।

अशोक के साम्राज्य की सीमा का पता उसके शिलालेखों के प्रसार से लगाया जा सकता है। उनके वितरण से हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य ने उत्तर–पश्चिम में अफगानिस्तान में कंधार तक विस्तार किया। पूर्वी सीमा में यह उडिशा तक फैला हुआ था। शिलालेख ग्प्प् के अनुसार, सुदूर दक्षिण को छोड़कर शेष उपमहाद्वीप मौर्य शासन के तहत था। शिलालेख प्प् के अनुसार दक्षिण में चोल और पांड्य का शासन था जहाँ बाद में केरलपुत्रों और सतीपुत्रों ने शासन किया। उसके साम्राज्य में विविध मूल और संस्कृतियों के लोग रहते थे। उदाहरण के लिए, उत्तर पश्चिम में कम्बोज और यवनों का उल्लेख है। उनका उल्लेख अन्य लोगों जैसे भोज, पितिनिका, आंध्र और पुलिंद के साथ किया जाता है जो पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ हिस्सों में स्थित हो सकते हैं।

अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। पुराणों में बाद के मौर्य शासकों के नामों का उल्लेख है और यह स्पष्ट करते हैं कि उनके शासनकाल की अवधि अपेक्षाकृत बहुत कम थी। साम्राज्य जल्द ही कमज़ोर और विखंडित हो गया और कहा जाता है कि बैक्ट्रियन यूनानियों द्वारा आक्रमण का सामना करना पड़ा था। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था जिसे 187 बी.सी.ई. में उसी के सैन्य कमांडर पुष्यमित्र ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की।[5]

मौर्य राजवंश प्रशासनिक ढांचा

मौर्य साम्राज्य एक विशाल क्षेत्रीय इकाई थी। इसे अच्छी तरह से संचालित करने के लिए प्रशासन के विभिन्न स्तरों की आवश्यकता थी। अर्थशास्त्र, यूनानी लेखों और अशोक के शिलालेखों से हमें उस समय के प्रशासनिक प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना को कई अंगों में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक अंग का प्रत्यक्ष शासन राजकुमार (कुमार) के तहत

[5] वाचस्पति गैरोला, (1990), ''कौटिलीय अर्थशास्त्रमू, चौखम्भा विद्यामवन. राधा कुमुद मुखर्जी, चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, राज वाराणसी'', कमल प्रकाशन नई दिल्ली।

था। शिलालेखों में चार प्रांतों का उल्लेख है– दक्षिण प्रांत जिसकी राजधानी सुवर्णगिरि थी, उत्तर प्रांत जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, पश्चिम प्रांत जिसकी राजधानी थी उज्जयिनी तथा पुरब प्रांत जिसकी राजधानी थी, तोसाली। अशोक के शिलालेखों में इन प्रांतों के कुमार को राज्यपाल के रूप में उद्धृत किया गया है तथा महत्वपूर्ण पदों पर शाही राजकुमारों को नियुक्त करने की परंपरा को जारी रखने का सुझाव दिया गया है।

साम्राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रादेशिक कहा जाता था जिन्हें हर पांच साल में साम्राज्य का दौरा करने और ऑडिट करने के साथ–साथ प्रांतीय प्रशासन पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। इसके अलावा, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारी, राजुक थे, जिन्हें न्यायिक कार्यों के साथ साथ अक्सर राजस्व के मूल्यांकन का कार्य भी करना पडता था। विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे कि अधिशेष उत्पादन, अधिशेष की निकासी, इसका वितरण, क्षेत्रों को जीतने के लिए मजबूत सेना, व्यापारियों और किसानों से कर संग्रह आदि के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशासन की आवश्यकता थी ।[6]

मौर्य प्रशासन के विवरण निम्नवत है।

केंद्रीय प्रशासन

केंद्रीय प्रशासन को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

- राजा
- मंत्रिपरिषद
- शहर प्रशासन
- सेना
- जासूसी नेटवर्क
- कानून और न्याय
- लोक कल्याण

अब इनमें से प्रत्येक श्रेणी के बारे में चर्चा विस्तार से।

राजाः राजा को मानक ग्रंथों में भी प्रधानता दी गई है। अर्थशास्त्र में राजा को प्रशासन का मुख्य केंद्र माना गया है। उनके पास मंत्रियों (अमात्य) को नियुक्त करने या हटाने की शक्ति थी। राजा का काम राजकोष की रक्षा, प्रजा की सुरक्षा करना; लोगों के कल्याण व देखभाल कर, अपराधियों को दंडित करना

[6] जागरन जोश, (2014), ''मौर्य साम्राज्यः प्रशासनिक संरचना'', पृष्ठः 1–7।

आदि था। राजा अपने नैतिकता के बल पर लोगों (प्रजा) को प्रभावित करने में समर्थ था। अर्थशास्त्र के अनुसार, यदि शास्त्रीय निर्देश राजा के निर्णय से भिन्न है तो राजा का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।

ग्रंथों में राजा के कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बताया गया है। ये हैंरू उच्च परिवार में जन्म; राजाओं और अधिकारियों को नियंत्रित करने की क्षमता, तेज बुद्धिः सत्यवादिता; और धर्म का पालन करने वाला। उसे एक कुशल योद्धा होना चाहिए, आर्थिक रूप से सम्पन्न और लेखन (लिपि) कला में परिपूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, ग्रंथ कुछ पूर्व शर्त निर्दिष्ट करते हैं जिन्हें राजा को पूरा करना चाहिए। उदाहरण के लिए, उसे सभी मामलों पर बराबर ध्यान देना चाहिए; कार्रवाई या सुधारात्मक उपाय करने के लिए सतर्क और सक्रिय रहें; उसे हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए; अपने सलाहकारों और अधिकारियों के लिए सुलभ हो। मेगस्थनीज और अशोक के ग्रंथों से यह पता चलता है कि राजा के लिए निर्दिष्ट इन विशेष कर्तव्यों का पालन मगध राजाओं द्वारा किया जाता था।

राज्य की प्रजा के साथ पिता तुल्य व्यवहार करने के कारण अशोक एक आदर्श राजा के रूप में जाना जाता है। वह अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के बारे में सजग व सतर्क रहता था, लेकिन साथ ही वह एक पूर्ण सम्राट था। उसने अपने को देवनामपिया (देवताओं का प्रिय) घोषित किया था तथा रोमिला थापर के अनुसार उसने बिचौलियों, पुजारियों को अलग–थलग कर अपने को दिव्य शक्ति के रूप में प्रचारित किया। इससे यह पता चलता है कि राजा धार्मिक मामलों में भी अपने अधिकार का प्रयोग बखूबी करता था।[7]

मंत्रिपरिषदः अर्थशास्त्र एवं अशोक के ग्रंथों में भी मंत्रिपरिषद (मंत्रिपरिषद) का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य मंत्रियों की सहायता के बिना कार्य नहीं कर सकता था। शिलालेख प्प् के अनुसार मंत्री परिषद का मुख्य कार्य परिषद के विभिन्न श्रेणियों द्वारा प्रशासनिक कार्य अच्छी तरह से कराना था। इसी तरह, शिलालेख टप् में उल्लेख किया गया है कि मंत्रीपरिषद राजा की अनुपस्थिति में उनकी नीति पर चर्चा कर सकते थे, संशोधन का सुझाव दे सकते हैं तथा राजा द्वारा परिषद के लिए छोडे गए महत्वपूर्ण मामले पर अपनी राय दे सकते थे। फिर भी परिषद को तुरंत अपनी राय राजा तक पहुंचानी पड़ती थी। परिषद की प्राथमिक भूमिका सलाहकार की थी। राजा का निर्णय सभी प्रकार से अंतिम होता था। परिषद (भुवयीस्ट) में बहुमत की राय सर्वोपरी होती है। ऐसे मामलों में जहां बहुमत का फैसला स्वीकार्य नहीं था, राजा का फैसला अंतिम होता था। भावी मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यता निर्दिष्ट थे। ये योग्यताएँ थींः उन्हें धन का लालच नहीं होना चाहिए; किसी भी प्रकार के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिएरू उसे सर्वपद्शुद्ध (सभी से शुद्ध) होना चाहिए। मंत्रियों की एक आंतरिक

[7] जागरन जोश, (2016), ''मौर्य साम्राज्यः विस्तृत सारांश'', पृष्ठः 1–7।

परिषद (मन्त्रिन) भी थी, जिन्हें उन मुद्दों पर परामर्श देना होता था जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी।

शहर प्रशासनः मेगस्थनीज़ ने पालिबोथरा (पाटलिपुत्र) के संबंध में नगर प्रशासन के कई संदर्भ प्रस्तुत किए हैं। उनके ग्रंथ में, नगर परिषद को छह उप–परिषदों या समितियों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक समिति में पाँच सदस्य होते थे। इन समितियाँ के बारे में संक्षिप्त चर्चाः

- **पहली समितिः** यह उद्योग और शिल्प की देखभाल करती थी। यह समिति इन केंद्रों का निरीक्षण करती थी तथा मजदूरी / वेतन तय करने सम्बंधी कार्य भी करती थी।
- **दूसरी समितिः** यह समिति विदेशियों की देखभाल करती थी। यह समिति विदेशियों के रहने, भोजन, आराम और सुरक्षा की व्यवस्था आदि का कार्य करती थी।
- **तीसरी समितिः** जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कार्य इस समिति के जिम्मे था।
- **चौथी समितिः** यह समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करती थी। सामान का सही वजन, नाप–तौल तथा बाजारों का निरीक्षण आदि कार्य भी इस समिति के जिम्मे था।
- **पांचवीं समितिः** निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण, उनकी बिक्री का प्रावधान तथा नए और पुराने सामान की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण का कार्य इस समिति के जिम्मे था।
- **छठी समितिः** यह बेची गयी वस्तुओं पर कर एकत्र करती थी, दर 1/10 थी।

यद्यपि अर्थशास्त्र में ऐसी किसी समितियों का उल्लेख नहीं है, किंतु ऊपर वर्णित कार्यों का उल्लेख अवश्य किया गया है। उदाहरण के लिए, चौथी समिति के कार्य पणयाध्यक्ष द्वारा किया जाता था, करों का संग्रह (छठी समिति) शुल्काध्यक्ष की जिम्मेदारी थी और जन्म और मृत्यु का पंजीकरण गोप का काम था। नगरीय प्रशासन के प्रमुख को नगरिका कहा जाता था। उन्हें दो अधीनस्थ अधिकारियों– गोप और स्थानिका की सहायता प्रदान की गई थी। अन्य अधिकारियों का भी उल्लेख किया गया है जैसे कि बंधनगरध्यक्ष (जेल की देखभाल); रक्षी (यानी पुलिस; लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखने वाला): लोहध्यक्ष, सौवर्णिका (वे अधिकारी जो केंद्रों में निर्मित सामानों की देखभाल करते थे) आदि।

नगर प्रशासन विस्तृत और सुनियोजित था। विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए विभिन्न प्रावधान निर्धारित थे। कोई भी कानून से ऊपर नहीं था। गलत काम करने पर पुलिस को भी दंडित करने का प्रावधान था। इसी तरह, नियमों के उल्लंघन के दोषी पाए गए नागरिकों को भी दंडित किया जाता था।

सेनाः अर्थशास्त्र में कलिंग युद्ध, सेल्यूकस का पीछे हटने के बारे में वर्णनात्मक लेख से पता चलता है कि मौर्यों के पास एक विशाल सेना थी। इसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी, रथ, परिवहन और बेड़े शामिल थे। ग्रीक और भारतीय दोनों साहित्यिक स्रोत इस तथ्य का उल्लेख करते हैं कि चंद्रगुप्त

की सेना जो नंद राजाओं के खिलाफ लडी थी, उसमें भाडे के सैनिक भी शामिल थे। प्लिनी के लेखों के अनुसार, चंद्रगुप्त की सेना में 9000 हाथी, 3000 घुड़सवार और 6000 पैदल सैनिक शामिल थे। प्लूटार्क के लेख में 6000 हाथियों, 80000 घोड़ों, 20000 पैदल सैनिकों और 8000 युद्ध रथों की चर्चा है।

कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ में एक स्थायी सेना के चार मुख्य विभागों पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ और हाथियों के बारे में लिखा है। इनमें से प्रत्येक डिवीजन को एक कमान अधिकारी के अधीन रखा गया था, जिन्हें क्रमशः पत्याध्यक्ष, अश्वाध्याक्ष, रथाध्यक्ष, और हस्ताध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। मेगस्थनीज ने इसी तरह नौसेना, उपकरण और परिवहन, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथों और हाथियों की निगरानी के लिए पांच सदस्यों की छह समितियों की व्यवस्था का वर्णन किया है। इसके अलावा, सेना के लिए चिकित्सा सेवा का भी प्रावधान था।

आयुद्धगाराध्यक्ष जैसे अधिकारी भी थे जो विभिन्न प्रकार के शस्त्रों के उत्पादन और रखरखाव का काम देखते थे। अर्थशास्त्र में भर्ती नीति, युद्ध योजनाओं और किलेबंदी का भी उल्लेख है। अधिकारियों और सैनिकों को नकद में भुगतान किया जाता था। सेना के अधिकारियों का वेतन 4000 पण 48000 पण के बीच था।

जासूसी नेटवर्कः अर्थशास्त्र में एक सुसंगठित जासूसी प्रणाली का उल्लेख है। जासूसों को मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों पर नज़र रखने, नागरिकों के राज्य के बारे में विचार पता करने और विदेशी राजाओं के रहस्यों को जानने का कार्य था। वह तत्कालिक मामलों की सूचना सीधे राजा को देते थे। वे न केवल भेस बदल के चलते थे बल्कि जानकारी एकत्र करने के लिए नाइयों, रसोइयों आदि से भी भेद प्राप्त करते थे। अर्थशास्त्र में इन जासूसों के संबंध में विस्तार से उल्लेख है। इसके दो प्रकार होते थेः स्थिर (संस्था) और घमुंतु (संचार)। इसे फिर नौ भागों में उपविभाजित किया गया था। अर्थशास्त्र के अनुसार, गुप्त सेवा का प्रमुख समाहर्ता कहलाता था, जिसे मुख्य रूप से राजस्व संग्रह का काम सौंपा गया था। साथ ही एक और कार्य राजा को सुरक्षा प्रदान करना था। वास्तव में, राजा के अंगरक्षक में महिला तीरंदाज शामिल थी जो राजा के साथ शिकार पर भी जाती थी। इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा महिलाओं को जासूस के रूप में भी नियुक्त किया गया था।

कानून और न्यायः राज्य की सामाजिक व प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन और राजस्व के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए साम्राज्य में एक व्यवस्थित कानूनी व्यवस्था थी। अर्थशास्त्र में विभिन्न अपराधों के लिए कई तरह के दंडों के बारे में जिक्र है। इनमें विवाह उल्लंघन से सम्बंधी कानून, तलाक, हत्या, चोरी, मिलावट, गलत वजन आदि का उल्लेख किया गया है। विवादों को निपटाने और अपराधियों को दंडित करने के लिए विभिन्न प्रकार की अदालतें थीं।

अर्थशास्त्र में धर्मस्थ (न्यायाधीशों) और प्रादेश्त्री (अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी) के बारे में विस्तार से वर्णन है। विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माना से लेकर अंग–भंग, यहां तक कि मृत्युदंड तक की भी सजा हो सकती थी।

राजा सर्वोच्च न्यायकर्ता एवं धर्म धारक होता था। यद्यपि अपराध कम होते थे तथा राजा के समक्ष मामलों की अपील मध्यस्थों के एक निकाय के माध्यम से प्रस्तुत की जाती थी। अशोक के शिलालेखों में न्यायिक जिम्मेदारियां शहर के महामात्य के जिम्मे थी। ग्रंथों में उल्लिखित है महामात्य को निष्पक्ष होना चाहिए और उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त सबूतों के बिना किसी को दंडित न किया जाए। शिलालेख 1 में उल्लेख है कि राजा द्वारा हर पांच साल में एक सज्जन अधिकारी जो न ज्यादा कठोर हो और न ज्यादा निष्ठुर, को न्याय सम्बंधी कार्यकलाप का निरीक्षण के लिए अधिकृत किया जाएगा जो अपनी रिपोर्ट समय से राजा को प्रस्तुत करेगा।

लोक कल्याणः अशोक के कई शिलालेखों से स्पष्ट है कि वह अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित था। मौर्य के शासनकाल के दौरान कई लोक कल्याणकारी कार्य किए गए थे। उदाहरण के लिए, राज्य द्वारा सिंचाई को सर्वोपरि माना गया। मेगस्थनीज ने उन अधिकारियों का उल्लेख किया है जो सिंचाई का पर्यवेक्षण करते थे। सिंचाई के साधनों और जल संसाधनों के प्रकारों को संरक्षण दिया गया था, और इसे क्षति पहुँचाने वाले को दंडित किया जाता था। राज्य ने लोगों को अपनी पहल पर बांधों की मरम्मत के लिए प्रोत्साहित किया और बदले में राजस्व में छूट दी गयी। जूनागढ़ रुद्रदामन के शिलालेख (दूसरी शताब्दी सी. ई.) के अनुसार, चंद्रगुप्त के समय में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। राज्य ने सड़कों की मरम्मत भी की तथा ज़रूरतमंदों को चिकित्सा उपचार और दवाएं उपलब्ध कराई जाती थी। विभिन्न प्रकार के वैद्य और चिकित्सक (चिकत्सक), दाइयों (गर्भव्याधि) आदि के बारे में भी उल्लेख मिलता है। अशोक ने आह्वान किया कि राज्य में अनाथ, बूढ़ी महिलाओं की देखभाल की जानी चाहिए। नागरिकों को अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार, राज्य ने अपने राजस्व का एक निश्चित हिस्सा अपने प्रजा के कल्याण में लगाया।

प्रान्तीय शासनः

चन्द्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अत्यंत विशाल था। उस युग में जब यातायात के साधनों का अभाव था तब एक केन्द्र से सम्पूर्ण राज्य का संचालन सम्भव नहीं था। इसलिये चंद्रगुप्त ने साम्राज्य को कई प्रान्तों में विभक्त कर दिया और प्रत्येक प्रांत के शासन के लिए एक प्रांतपति नियुक्त कर दिया। प्रांतपतियों की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था। प्रांतपति अपने समस्त कार्यो के लिए सीधे सम्राट् के प्रति उत्तरदायी

होते थे। इस पद पर सम्राट् ऐसे ही लोगों को नियुक्त करता था जिनमें उसका पूर्ण विश्वास रहता था। जो प्रान्त अत्यंत महत्त्व के थे उन पर या तो सम्राट स्वयं नियन्त्रण रखता था या राजकुल के राजकुमारों को नियुक्त करता था। यह शासक 'कुमार–महामात्य' कहलाते थे। अन्य प्रांतों के महामात्य राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रान्त में शांति रखना और वहाँ के शासन को सुचारू रीति से चलाना प्रांतपति का प्रधान कार्य था। युद्ध के समय सम्राट को सैनिक सहायता पहुंचाना भी उसका प्रमुख कर्त्तव्य होता था। सम्राट् प्रान्तपतियों पर कड़ा नियंत्रण रखता था और गुप्तचरों के माध्यम से उनकी गतिविधियों की सूचना प्राप्त करता था। स्मिथ ने लिखा है– 'केन्द्रीय मौर्य सरकार का नियन्त्रण सुदूरस्थ प्रान्तों तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों पर अकबर द्वारा प्रयुक्त नियन्त्रण से भी अधिक कठोर प्रतीत होता है।'

जिला और ग्राम स्तरीय प्रशासन

अर्थशास्त्र के अनुसार, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाँव थी। कुछ गांवों को मिलाकर एक जिला तथा कई जिलों को मिलाकर प्रांत बनाया गया था। प्रत्येक जिले में इसकी सीमाओं, पंजीकृत भूमि के रिकॉर्ड तथा जनसंख्या की जनगणना और पशुधन के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए एक लेखाकार होता था। हर जिले के लिए एक कर संग्राहक भी था, जो विभिन्न प्रकार के राजस्व के लिए जिम्मेदार था। ग्राम स्तर पर, सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्राम प्रधान का था, जो जिला लेखाकार और कर संग्राहक के प्रति जवाबदेह था।

जिला स्तर पर प्रशासन चलाने के लिए सूचीबद्ध अधिकारी होते थे जो प्रदेशिका, राजुका और युक्त कहलाते थे। प्रदेशिका जिले का समग्र प्रभारी तथा युक्त कनिष्ठ अधिकारी होता था जो अन्य दो को सचिवीय प्रकार की सहायता प्रदान करता था। अधिकारियों को भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन, पर्यटन और निरीक्षण; राजस्व संग्रहः तथा कानून और विधि व्यवस्था बनाए रखना आदि कार्य करने की जिम्मेदारी थी।

कई बार राजा इन अधिकारियों के साथ सीधे संपर्क में रहता था। चौथे स्तंभ के संस्करण में उल्लेख किया गया है कि अशोक ने राजुकों को लोक कल्याण से संबंधित कुछ जिम्मेदारियों को निभाने के लिए श्स्वतंत्र अधिकार प्रदान किया था। इसके अलावा, प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों की शक्तियों पर नियंत्रण रखा जाता था।

गाँव में अधिकारियों के रूप में नियुक्त स्थानीय लोगों को ग्रामिका कहा जाता था। गोप और स्थानिका दो प्रकार के अधिकारी थे, जो जिला और ग्राम स्तर की प्रशासनिक इकाइयों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। उन्हें निम्नलिखित काम सौंपा गया थाः गांव की सीमाओं का सीमांकन, भूमि का रेकॉर्ड बनाए रखना, लोगों की आय और व्यय का रेकॉर्ड रखना, कर का रेकॉर्ड रखना, राजस्व और

जुर्माना आदि। इन अधिकारियों की उपस्थिति के बावजूद, गांवों के लोग अपने निजि मामलों का कुछ हद तक स्वंय निपटारा कर स्वायत्तता का आनंद लिया करते थे।

प्रशासनिक प्रणाली काफी हद तक करों के कुशल संग्रह के इर्द–गिर्द घूमती है । हमें लुम्बिनी में अशोक के शिलालेख से पता चलता है कि भू–राजस्व दो प्रकार का था बली और भाग। कर का निर्धारण क्षेत्र के आधार पर होता था। कर का निर्धारण भूमि के उत्पादन के एक चौथाई से लेकर 1/6 तक होता था। उपज का एक चौथायी हिस्सा किसानों द्वारा कर के रूप में भुगतान किया जाता था। उन्हें कुछ भेंट के रूप में भी देना होता था। भूमि कर (भाग) राजस्व का मुख्य स्रोत था। यह उपज के 1/6 वें हिस्से के रूप में लगाया गया था। यह मौर्य काल में अधिक हो सकता था। अशोक के लुम्बिनी संस्करण में कहा गया है कि बुद्ध के जन्मस्थान की यात्रा के दौरान, उन्होंने गाँव को बली के भुगतान से छूट दी और भाग के भुगतान को 1/8वां कर दिया। बटाईदारी एक और तरीका था जिसके द्वारा राज्य में कृषि संसाधनों को एकत्रित किया जाता था। बटाईदारों को कृषि योग्य भूमि के साथ साथ बीज, बैल आदि उपलब्द्ध कराए जाते थे तथा किसान द्वारा राज्य को उपज का आधा हिस्सा कर के रूप में चुकाना होता था। अन्य प्रकार के कर भी प्रचलित थे। किसान पिंडकर नामक कर का भुगतान करते थे जिसका भुगतान कृषकों द्वारा किया जाता था, जिसका आकलन गाँवों के समूह द्वारा किया जाता था। यह एक प्रकार की प्रथा थी। गांवों के लोग अपने क्षेत्रों से गुजरती सेना को रसद उपलब्ध कराते थे। उस समय हिरण्य नाम का कर था जिसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसका भुगतान नकद में किया जाता था। कुछ कर स्वैच्छिक थे जैसे प्रणयकर, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्नेह का उपहार। सर्वप्रथम पाणिनि ने इसका उल्लेख किया तथा कौटिल्य ने इसका विस्तार से वर्णन किया। यह कर भूमि की मिट्टी की प्रकृति के अनुसार उपज का एक तिहाई या एक चौथाई होता था। समय के अनुसार यह अनिवार्य बन गया।

मेगस्थनीज़ ने यह भी माना कि सभी भूमि राजा की है, और काश्तकार इस शर्त पर भूमि को जोतते थे कि उन्हें उपज का एक चौथाई हिस्सा उपज के रूप में कर देना होगा। अन्य ग्रीक लेखों से यह प्रतीत होता है कि राजा की भूमि की खेती के लिए कृषक को उपज का एक चौथाई हिस्सा मिलता था। इन लेखों में शासक भूमि का जिक्र है जिसे सीता कहा जाता था। इसका नाम शासक द्वारा रखा गया था और उसे अपनी भूमि (स्वभूमी) के रूप में नामित किया गया था। इस शासक भूमि को राज्य की देखरेख में, बटाईदार या किरायेदार काश्तकारों द्वारा जोता जाता था तथा कर का भुगतान तथा कभी कभी खेती के एवज में उन्हें मजदूरी दी जाती थी। अर्थशास्त्र में, कृषि के एक सीताध्यक्ष अधीक्षक का उल्लेख किया गया है. जो सम्भवतः सीता भूमि की खेती का पर्यवेक्षण करते थे।

मौर्य राज्य में शेष भूमि, जिसे जनपद प्रदेश के रूप में जाना जाता है. संभवतः निजी कृषकों के अधीन थी। जातक, गहपति एवं ग्रामभोजक का जिक्र हैं जिसके बारे में कहा गया है कि वे राज्य में सिंचाई की व्यवस्था के लिए मजदूरों को रखते थे तथा यह दर्शाता है कि वे भूमि के मालिक थे। कृषि के सुदृढीकरण

के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। अर्थशास्त्र में एक जल उपकर का उल्लेख किया गया है जो उपज का पांचवां, एक चौथाई या एक तिहाई होता था। इस तरह के क्षेत्रों में केवल सिंचित भूमि पर उपकर लगाया जाता था, जो दर्शाता है कि राज्य जहाँ भी वर्षा होती है, वहाँ सिंचाई सुविधाओं को नियंत्रित करता है। जैसा कि पहले कहा गया था, करों के माध्यम से भू राजस्व का संग्रह राज्य का एक महत्वपूर्ण मामला था। इसके सर्वोच्च प्रभारी अधिकारी समाहर्ता कहलाते थे। सन्नीधाता राज्य कोषागार का प्रमुख संरक्षक होता था। चूंकि उत्पाद उपज के रूप में भी एकत्र किया जाता था, अनाज के भंडारण की सुविधा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी थी।

दास–कर्मकारों के द्वारा श्रम उपलब्ध कराया जाता था जिसे दास व किराये के श्रमिक कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार मजदूरों की विभिन्न श्रेणियों में मजदूर, बंधुआ मजदूर और दास शामिल थे।[8]

मौर्य–काल का महत्त्व

- **साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का प्रारम्भः** मौर्य–काल का दूसरा महत्त्व यह है कि इस काल के प्रारम्भ से ही भारत में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का प्रारम्भ होता है और यह प्रवृत्ति आगामी शताब्दियों में भी चलती है। भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास में यहीं से एक नये युग का आरम्भ होता है जिसे हम साम्राज्यवाद तथा राजनीतिक एकता का युग कह सकते हैं। मौर्य–काल के पूर्व भारतवर्ष में राजनीतिक एकता का सर्वथा अभाव था और सम्पूर्ण देश छोटे–छोटे राज्यों में विभक्त था।

  यद्यपि साम्राज्यवाद तथा राजनीतिक एकता का स्वप्न देखना भारतीय राजाओं ने मौर्य–काल के पहले ही आरम्भ कर दिया था, परन्तु इस स्वप्न को सर्वप्रथम मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त ने ही चरितार्थ किया। उसने पंजाब तथा सिन्ध क्षेत्र से विदेशी यूनानियों को और उत्तरी–भारत के अन्य छोटे–छोटे देशी राज्यों को समाप्त कर सम्पूर्ण उत्तरी–भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। इस प्रकार प्रथम बार भारत में राजनीतिक

  एकता की स्थापना हुई। राजनीतिक एकता का यह आदर्श भारत के भावी महत्त्वाकांक्षी सम्राटों को सदैव प्रेरित करता रहा।

- **प्रशासनिक एकरूपता का प्रादुर्भावः** राजनीतिक एकता तथा शासन की एकरूपता में अटूट सम्बन्ध है। राजनीतिक एकता प्रशासकीय एकता की जननी है। जब मौर्य–सम्राटों ने सम्पूर्ण उत्तरी–भारत में राजनीतिक एकता स्थापित कर दी तब इस विशाल भू–भाग में एक ही प्रकार के सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित केन्द्रीय शासन की स्थापना हो गई।

  चन्द्रगुप्त–मौर्य ने जिस शासन–व्यवस्था का शिलान्यास किया वही भावी शासकों के लिए आदर्श व्यवस्था बन गई और उसी में न्यूनाधिक परिवर्तन करके आगामी शासकों ने शासन–व्यवस्था को

[8] आत्मा राम, ''भारतीय इतिहास में मौर्यों व गुप्तों की प्रशासतिक व्यवस्था का ऐतिहासिक व तुलनात्मक अध्ययन'', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मल्टीडिसकीप्लीनरी रिसर्च इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पृष्ठः 1–24।

चलाया। मौर्य–कालीन शासन व्यवस्था शान्ति बनाये रखने तथा सम्पन्नता प्रदान करने में इतनी सफल रही कि इसे हम शान्ति तथा सम्पन्नता का युग कह सकते हैं।

- **सांस्कृतिक एकता की स्थापनाः** राजनीतिक एकता सांस्कृतिक एकता की भी जननी है। चन्द्रगुप्त मौर्य ने विदेशियों को अपने देश से निष्कासित कर एक विशुद्ध भारतीय संस्कृति के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कीं। उसने सम्पूर्ण उत्तरी–भारत में एकछत्र, सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित शासन स्थापित कर सांस्कृतिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तेयार किया।

  अशोक ने बौद्ध–धर्म को राज–धर्म बनाकर, उसके प्रचार की समुचित व्यवस्था की तथा सम्पूर्ण भारत में पत्थरों पर शिक्षाएं तथा उपदेश लिखवा कर सम्पूर्ण राज्य में एक ही प्रकार की संस्कृति के विकास का कार्य किया।

  विदेशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्धों की स्थापनाः अशोक ने जिस सभ्यता तथा संस्कृति का सृजन किया, उसे विदेशों में भी प्रचारित कराया। इस प्रकार अशोक विदेशों में भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के प्रचार का अग्रदूत बन गया। इस सभ्यता तथा संस्कृति के प्रचार की बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि यह कार्य प्रेम तथा सद्भावना से किया गया।

आधुनिक भारतीय शासन प्रणालीः

भारतीय शासन प्रणाली विश्व की सबसे जटिल, विविधतापूर्ण और गतिशील लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक है। 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान ने एक ऐसी अद्वितीय शासन व्यवस्था की नींव रखी जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानता और मौलिक अधिकारों के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। आधुनिक शासन का स्वरूप विभिन्न स्तरों और तंत्रों पर आधारित है, जो न केवल शासन को सशक्त बनाता है, बल्कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। आधुनिक शासन प्रणाली के मुख्य घटकों, ढांचे और उसकी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया गया है।

संघीय शासन संरचना

भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक संघीय शासन संरचना है, जो केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बेहद सावधानीपूर्वक तैयार किए गए विभाजन पर आधारित है। यह संरचना मौर्य काल की केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था से कई समानताएं रखती है, जहां एक मजबूत केंद्रीय सत्ता के साथ–साथ क्षेत्रीय इकाइयों को भी पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की जाती थी। संविधान ने तीन सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया है, जो केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। केंद्रीय सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जो राष्ट्रीय महत्व के माने जाते हैं, जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा और संचार। इन विषयों पर केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार होता है, जो देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जो स्थानीय महत्व के माने जाते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पुलिस। इन विषयों पर राज्य

सरकारों को पूर्ण अधिकार प्राप्त है, जो राज्यों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार नीतियां बनाने और लागू करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह व्यवस्था राज्यों की विविधता और स्थानीय आवश्यकताओं को सम्मान देती है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे श्रम कानून, आपराधिक कानून और आर्थिक योजना। इस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें परस्पर सहयोग करती हैं, जो भारतीय संघीय व्यवस्था की लचीलेपन और सहकारी प्रकृति को दर्शाता है। इस जटिल शक्ति विभाजन प्रणाली में संविधान ने कुछ विशेष प्रावधान भी रखे हैं जो असाधारण परिस्थितियों में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, आपातकाल के दौरान या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे की स्थिति में, केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों पर अधिक नियंत्रण कर सकती है। यह संघीय संरचना न केवल शासन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है, बल्कि भारत की विविधता में एकता को भी बढ़ावा देती है। यह व्यवस्था मौर्य काल की केंद्रीकृत प्रशासन पद्धति से प्रेरित है, जहां एक मजबूत केंद्रीय सत्ता के साथ–साथ क्षेत्रीय इकाइयों को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती थी।

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का परिचय

आधुनिक शासन का आधार लोकतंत्र है, जो ष्जनता के लिए, जनता द्वारा, और जनता काष् शासन सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित होता हैः

विधायिकाः

- यह कानून बनाने और सरकार की नीतियों को मंजूरी देने का कार्य करती है।
- भारतीय संदर्भ में, संसद (लोकसभा और राज्यसभा) मुख्य विधायी इकाई है।
- विधायिका नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करने में सहायक होती है।

कार्यपालिकाः

- कार्यपालिका शासन की नीतियों को लागू करती है।
- इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका होती है।
- कार्यपालिका का प्रमुख कार्य कानून और नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

न्यायपालिकाः

- न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून की व्याख्या करना और इसे निष्पक्ष रूप से लागू करना है।
- यह विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों और उनके कार्यों पर निगरानी भी रखती है।

- भारत में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय न्यायपालिका का ढांचा बनाते हैं।

प्रशासनिक इकाइयाँ

आधुनिक शासन विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर बंटा हुआ है, जो शासन को अधिक संगठित और प्रभावी बनाते हैं।

केंद्र और राज्य का संबंधः

- भारतीय संविधान ने संघीय व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है।
- केंद्र सरकार राष्ट्रीय नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों का संचालन करती है, जबकि राज्य सरकारें स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

पंचायत और शहरी प्रशासनः

- पंचायत राज प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है।
- नगरपालिकाएँ और नगर निगम शहरी क्षेत्रों में शासन की जिम्मेदारी संभालते हैं।
- यह प्रशासनिक इकाइयाँ शासन को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाती हैं।

आधुनिक कर प्रणाली

आधुनिक शासन का एक प्रमुख पहलू कर संग्रह है, जो सरकार के आर्थिक संसाधनों का मुख्य स्रोत है।[9]

प्रत्यक्ष करः

- यह नागरिकों और संगठनों की आय पर लगाया जाता है।
- भारत में आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स इसके मुख्य उदाहरण हैं।

अप्रत्यक्ष करः

- यह वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर लगाया जाता है।
- भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है।

[9] गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, (2020), ''डिजिटल इंडियारू प्रोग्रेस एंड चौलेंजेज'', मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी।

- यह कर प्रणाली आर्थिक विकास को गति देने और समानता सुनिश्चित करने में सहायक है।

सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाएं

आधुनिक शासन में सामाजिक कल्याण और न्याय पर विशेष जोर दिया गया है।

सामाजिक न्यायः

- यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और अधिकार मिले।
- महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति और विशेष योजनाएँ इसका हिस्सा हैं।

कल्याणकारी योजनाएंः

- गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएँ चलाई जाती हैं।
- प्रमुख योजनाएँः
  - ❖ प्रधानमंत्री आवास योजना।
  - ❖ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना।
  - ❖ मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम)।

आधुनिक कानून और न्यायिक तंत्र

आधुनिक शासन में न्यायिक तंत्र शासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करता है।

न्यायपालिका की भूमिकाः

- संविधान और कानूनों की व्याख्या करना।
- आपराधिक और दीवानी मामलों का निपटारा करना।
- कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना।

मानव अधिकार और समानताः

- मानव अधिकार आयोग और महिला आयोग जैसे संस्थान कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं।

- कानून व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग।

प्रशासन में तकनीकी सुधार और ई–गवर्नेंस

आधुनिक शासन में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। ई–गवर्नेंस ने शासन को पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनाया है।[10]

मुख्य विशेषताएँः

- डिजिटल इंडिया अभियान।
- आधार और डिजिटल भुगतान प्रणाली।
- ऑनलाइन सेवाएँः पासपोर्ट, लाइसेंस और कर भुगतान।

सबक और समानताएं का तुलनात्मक विश्लेषण

मौर्यकालीन प्रशासन और आधुनिक शासन के प्रमुख पहलुओं के बीच समानताओं और भिन्नताओं की पड़ताल करना है। यह शोध न केवल ऐतिहासिक और समकालीन प्रशासनिक प्रणालियों की विशेषताओं को उजागर करता है, बल्कि उनके बीच सबक और प्रेरणा के बिंदुओं को भी रेखांकित करता है।[11]

समानताएँ

- **शासन का केंद्रीकरणः** मौर्यकालीन प्रशासन में सत्ता का केंद्रीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे शासकों ने साम्राज्य को एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन के माध्यम से संचालित किया। आधुनिक समय में भी, केंद्र सरकार प्रमुख नीतियाँ और निर्णय लेने में मुख्य भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, भारत में केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग, आर्थिक नीतियाँ, और आपातकालीन फैसले इस केंद्रीकरण का प्रमाण हैं।
- **सामाजिक कल्याण की नीतियाँः** अशोक द्वारा ष्धम्मष की अवधारणा के तहत सामाजिक समानता, अहिंसा, और कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया गया। आधुनिक शासन भी इसी दिशा में कार्य करता है, जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (डळछत्म्ळ।), आयुष्मान भारत, और मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाएँ। दोनों व्यवस्थाओं में सामाजिक सुधार और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता समान है।

[10] शर्मा, एस., (2021), ''ई–गवर्नेंस और आधुनिक प्रशासन'', हैदराबादः ओरिएंट ब्लैकस्वान।
[11] चौधरी, पी., (2016), ''भारतीय प्रशासन और आधुनिक समय'', पटनाः यूनिवर्सल बुक्स।

- **कर प्रणाली और आर्थिक नीतियाँः** मौर्यकाल में राजस्व संग्रह एक सुसंगठित व्यवस्था के तहत होता था। कृषि से प्राप्त कर और व्यापार पर लगाए गए शुल्क आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक थे। आज भी, कर प्रणाली (ळैज, आयकर) और व्यापार नीतियाँ अर्थव्यवस्था के मूलभूत स्तंभ हैं।
- **साम्राज्य की रक्षा और सुरक्षा तंत्रः** मौर्यकाल में एक मजबूत सैन्य व्यवस्था और खुफिया नेटवर्क की स्थापना की गई थी। आधुनिक प्रशासन में भी सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, और गुप्तचर संस्थाएँ जैसे RAW और IB, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख तत्व हैं।[12]

2. भिन्नताएं

(क) लोकतांत्रिक बनाम राजशाही शासनः

मौर्यकाल में शासन की प्रणाली पूर्णतः राजशाही पर आधारित थी, जिसमें राजा सर्वोच्च शक्ति का केंद्र था। आधुनिक समय में, लोकतांत्रिक प्रणाली में शक्ति जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होती है।

- मौर्य प्रशासन में निर्णय राजा के विवेक पर निर्भर करते थे।
- आधुनिक शासन में निर्णय विधायिका, न्यायपालिका, और कार्यपालिका के सामूहिक योगदान से लिए जाते हैं।

(ख) तकनीकी प्रगति और सूचना तंत्र

मौर्यकालीन प्रशासन सूचना संचार के लिए राजदूतों और संदेशवाहकों पर निर्भर था। आज के समय में, ई–गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, और सूचना प्रौद्योगिकी ने प्रशासन को तेज, पारदर्शी और सुलभ बना दिया है।

- उदाहरणः आधार योजना, सरकारी पोर्टल्स, और ऑनलाइन सेवाएँ।

(ग) न्यायिक स्वतंत्रता

मौर्यकाल में राजा न्याय का अंतिम स्रोत था, और न्यायिक निर्णय भी राजा के व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित होते थे। आधुनिक भारत में, न्यायपालिका स्वतंत्र है और विधायिका एवं कार्यपालिका से अलग कार्य करती है।

- उदाहरणः भारत का सर्वोच्च न्यायालय और इसकी संवैधानिक स्वायत्तता।

[12] सिंह, उपेंद्र (2020), ''प्राचीन भारतः एक इतिहास'', नई दिल्लीः पियरसन पब्लिशिंग।

(घ) वैश्विक दृष्टिकोण

मौर्यकालीन शासन एक सीमित भूभाग में केंद्रित था। आधुनिक समय में, शासन प्रणाली वैश्विक स्तर पर सहयोग और प्रतियोगिता दोनों का हिस्सा बन चुकी है।

- उदाहरणः संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, और विश्व व्यापार संगठन में भारत की भूमिका।

(ङ) शिक्षा और मानव संसाधन विकास

मौर्यकाल में शिक्षा बौद्ध विहारों और तक्षशिला जैसे संस्थानों के माध्यम से सीमित थी। आधुनिक समय में, शिक्षा सार्वभौमिक अधिकार बन चुकी है।

- उदाहरणः सर्व शिक्षा अभियान और नई शिक्षा नीति 2020।

3. प्रमुख सबक

- **मजबूत प्रशासनिक ढाँचे की आवश्यकताः** मौर्यकाल में प्रशासन की सफलता का प्रमुख कारण उसका सुव्यवस्थित ढाँचा था। वर्तमान शासन को भी योजनाओं और नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए एक सशक्त ढाँचा अपनाने की आवश्यकता है।
- **नोति निर्माण और सामाजिक समरसताः** अशोक के धम्म से यह सबक मिलता है कि समाज में समरसता बनाए रखने के लिए नीतियाँ जनहितकारी होनी चाहिए। आज की सरकारें भी इसी दृष्टिकोण को अपनाकर समावेशी विकास की ओर बढ़ सकती हैं।
- **कानून के कार्यान्वयन में सुधारः** मौर्यकाल में कानून का सख्त कार्यान्वयन था। आधुनिक समय में, कानून के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण सबक है।
- **खुफिया और सुरक्षा प्रणालीः** मौर्यकालीन खुफिया तंत्र अत्यधिक प्रभावी था, जिससे साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित होती थी। आधुनिक समय में भी, साइबर सुरक्षा और खुफिया नेटवर्क का विस्तार महत्वपूर्ण है।[13]

निष्कर्ष

मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना और सिद्धांत, वर्तमान शासन प्रणाली को न केवल ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं, बल्कि आधुनिक नीति–निर्माण में एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करते हैं। मौर्यकाल में शासन का केंद्रीकरण, नीतिगत दृष्टिकोण और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति उल्लेखनीय थी। यह तुलनात्मक अध्ययन दर्शाता है कि प्राचीन मौर्य नीतियां केवल एक

[13] शास्त्री, के. ए. एन., (2019), ''मौर्य और गुप्त साम्राज्य का इतिहास'', नई दिल्लीरू मोटिलाल बनारसीदास।

ऐतिहासिक विरासत नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक न्याय, स्थिरता और सामूहिक कल्याण के वर्तमान प्रयासों के लिए प्रासंगिक हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कौटिल्य, (2010), ''अर्थशास्त्र (अनुवादरू आर.पी. कांगले)'', मोतीलाल बनारसीदास।
2. थापर, रोमिला, (1987), ''अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन्स'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. सिंह, उपिंदर, (2016), ''ए हिस्ट्री ऑफ एनशिएंट एंड अर्ली मीडिवल इंडिया'', पियरसन एजुकेशन।
4. अमृत विचार, (2022), ''मौर्य साम्राज्य और राजवंश का इतिहास'', पृष्ठः 1–3।
5. वाचस्पति गैरोला, (1990), ''कौटिलीय अर्थशास्त्रमू, चौखम्भा विद्यामवन. राधा कुमुद मुखर्जी, चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, राज वाराणसी'', कमल प्रकाशन नई दिल्ली।
6. जागरन जोश, (2014), ''मौर्य साम्राज्यः प्रशासनिक संरचना'', पृष्ठः 1–7।
7. जागरन जोश, (2016), ''मौर्य साम्राज्यः विस्तृत सारांश'', पृष्ठः 1–7।
8. आत्मा राम, ''भारतीय इतिहास में मौर्यों व गुप्तों की प्रशासतिक व्यवस्था का ऐतिहासिक व तुलनात्मक अध्ययन'', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मल्टीडिसकीप्लीनरी रिसर्च इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पृष्ठः 1–24।
9. गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, (2020), ''डिजिटल इंडियारू प्रोग्रेस एंड चौलेंजेज'', मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी।
10. शर्मा, एस., (2021), ''ई–गवर्नेंस और आधुनिक प्रशासन'', हैदराबादः ओरिएंट ब्लैकस्वान।
11. चौधरी, पी., (2016), ''भारतीय प्रशासन और आधुनिक समय'', पटनाः यूनिवर्सल बुक्स।
12. सिंह, उपेंद्र (2020), ''प्राचीन भारतः एक इतिहास'', नई दिल्लीः पियरसन पब्लिशिंग।
13. शास्त्री, के. ए. एन., (2019), ''मौर्य और गुप्त साम्राज्य का इतिहास'', नई दिल्लीरू मोटिलाल बनारसीदास।